सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 78 ज्येष्ठ 21, गुरुवार, शाके 1948– जून 11 , 2026 अंक 11
Vol. 78 Jyaistha 21 , Thursday, Saka 1948–June 11, 2026 No. 11

भाग 7
विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम / उपनाम / सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध पत्र
(नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित विभाग के आदेश सं. एफ. 1 / 12 / एफ.डी.ई.आर. 187, दिनांक 10–4–57 की अनुपालना में)

इस बन्ध पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता कृष्ण मुरारी शर्मा (KRISHAN MURARI SHARMA) / (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व कृष्ण मुरारी (KRISHNA MURARI) (पुराना नाम) कहलाता था / कहलाती थी एवं जो ग्राम विकास अधिकारी (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में पंचायत समिति सांगोद, कोटा (स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था / थी. एतद्द्वार

1. स्वयं तथा मेरे पति / मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम कृष्ण मुरारी (KRISHNA MURARI) उपनाम कृष्ण मुरारी (KRISHNA MURARI) (सिर्फ) को त्यागता / त्यागती हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम कृष्ण मुरारी शर्मा (KRISHAN MURARI SHARMA) तथा उपनाम कृष्ण मुरारी शर्मा (KRISHAN MURARI SHARMA) ग्रहण करता / करती हूँ एवं इसलिए मैं, मेरे पति / मेरी पत्नी, बच्चे दूर के बच्चे एतद्द्वार मेरे पूर्व उपनाम कृष्ण मुरारी (KRISHNA MURARI) (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम कृष्ण मुरारी शर्मा (KRISHAN MURARI SHARMA) द्वारा जाने जाएं ।

2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता / करती हूँ कि मैं एतद् पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रों प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम कृष्ण मुरारी (KRISHNA MURARI). तथा उपनाम कृष्ण मुरारी (KRISHNA MURARI) (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तनों में कृष्ण मुरारी शर्मा (KRISHAN MURARI SHARMA) नाम के रूप में तथा कृष्ण मुरारी शर्मा (KRISHAN MURARI SHARMA) उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा / करूंगी एवं हस्ताक्षर करूंगा / करूंगी।

3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय सभी व्यक्तियों के मुझे, मेरी पत्नी / पति, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम कृष्ण मुरारी शर्मा (KRISHAN MURARI SHARMA) उपनाम कृष्ण मुरारी शर्मा (KRISHAN MURARI SHARMA) के नाम से संबोधित करने के लिए प्राधिकृत करता / करती हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता / करती हूँ ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम कृष्ण मुरारी (KRISHNA MURARI) तथा कृष्ण मुरारी शर्मा (KRISHAN MURARI SHARMA) का वर्णन किया है तथा दिनांक 15.03.2026 को हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम कृष्ण मुरारी शर्मा (KRISHAN MURARI SHARMA) द्वारा जो पूर्व में कृष्ण मुरारी (KRISHNA MURARI) कहलाता था / कहलाती थी हस्ताक्षर किये है।

कृष्ण मुरारी

साक्षी हस्ताक्षर

1. हरीश राठौर
   सहा .वि अधि. पं.स. सागोद
2. रामहेत सिंह मीणा
   सहा.वि अधि.पं.स.सांगोद

नया नाम : कृष्ण मुरारी शर्मा (KRISHAN MURARI SHARMA)
पुराना नाम : कृष्ण मुरारी (KRISHNA MURARI)

प्रतिहस्ताक्षर
खुशलेशवर सिह
15.03.2026
खण्ड विकास अधिकारी
पंचायत समिति सैंगोद

8469

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।